ग्राम पंचायत सेहल़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सेहल़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र कुमार	1.4.2014 से 31.3.2017

सचिव

क्र0सं0	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री मेघ राज	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत सेहल़, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष मे अन्तर	2.20

2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	7	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	0.03
4	11	अनुदान राशियों का अवरोधन	8.14
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.40
6	13	भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	2.36

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सेहल़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.1.18 से 23.1.18 तक ग्राम पंचायत सेहल़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 08/2014, 10/2015, 12/2016 व 12/2014, 06/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सेहल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 23.1.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेहल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत सेहल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

4.1 **स्वःस्त्रोत व अनुदानः–** ग्राम पंचायत सेहल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है।

(i) स्वःस्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	183197	113977	297174	145603	151571
2015–16	151571	120548	272119	125979	146140
2016–17	146140	190796	336936	134590	202346

(ii) अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	73423	1136776	1210199	1026811	183388
2015–16	183388	2059726	2243114	1708274	534840
2016–17	534840	1096272	1631112	816838	814274
				कुल योग	**₹1016620**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरणः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	जमा राशि
1	Sabha Nidhi	20016005037	K.C.C.B. Baijnath	125412
2	Z.P.	50051545602	K.C.C.B. Baijnath	52816
3	S.D.P.	50051545646	K.C.C.B. Baijnath	11994
4	13 & 14 F/C	50100163479084	HDFC Baijnath	861188
5	Relief Fund	50060435870	K.C.C.B. Baijnath	30257

6	M.P. Lad	50051545635	K.C.C.B. Baijnath	54353
7	V.K.V.N.Y.	50060435789	K.C.C.B. Baijnath	99903
8	Cash in hand			235
			Total	**₹1236158**

अन्तर=₹1016620–₹1236158=₹219538

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2.20 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सेहल़ द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹219538 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अन्तर का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के अनुसार भी प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सेहल़ में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा रोकड़ बही फार्म–14 में तैयार करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत सेहल द्वारा सामान्य रोकड़ बही तो तैयार की गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जोकि नियमों की अवहेलना है। अतः नियमानुसार पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही तैयार की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व (विवाह पंजीकरण शुल्क) ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सेहल द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क नही ंवसूला जा रहा है। इसके फलस्वरूप निम्नविवरणानुसार पंचायत को ₹3060 के राजस्व की हानि हुई है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

वर्ष	पंजीकृत विवाह	वसूली जाने वाली राशि	राशि
2014–15	21	21@5	105
2015–16	25	25@5	125
2016–17	जून तक 1.7.16 से आगे	06@5	30
		14@200	2800
		कुल योग	**₹3060**

8 ₹0.13 लाख प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करने बारे

ग्राम पंचायत सेहल के सामान्य रोकड़ बही (खाता संख्या 20016005037, के0सी0सी0बी0 बैजनाथ) की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.8.14 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 86 पर ₹12848 की राशि की प्राप्ति दर्शाई गई है, परन्तु सम्बन्धित बैंक खाते की जाँच में पाया गया कि उक्त राशि बैंक में जमा नहीं हुई है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि को अतिशीघ्र बैंक में जमा करवाया जाए।

9 निवेशः–

ग्राम पंचायत सेहल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान राशि ₹8.14 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹814274 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.40 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹40000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं को आमन्त्रित किए

बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹2.36 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय वाउचर/मस्टरोल जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**चैक सं0**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	22.10.14	95	7781	2820	वा0सं0 48 प्रस्तुत नहीं किया
2	23.12.14	100	7802	4480	वा0सं0 70 प्रस्तुत नहीं किया
			कुल राशि	**₹7300**	

मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान की गई मजदूरी के सम्बन्धित मस्ट्रोल जो अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गएः—

क्र0सं0	**दिनांक**	**मस्ट्रोल सं0**	**राशि**	**कुल राशि**
1	22.12.14	807	1386	
		1448	2310	
		1546—47	20020	
		1587—1588	20790	
		1635, 1637, 1670 & 1676	48356	
		1738 से 1740	37730	
		2152 से 2153, 2155 से 57 & 2164	65758	₹196350

सामान्य रोकड़ बही के भुगतान की गई मजदूरी से सम्बन्धित मस्ट्रोल जो अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किएः–

क्र0सं0	दिनांक	वा0 / रो0पे0सं0	अनुदान का नाम	राशि
1	6.3.17	14 / 6	V.K.V.N.Y.	18860
2	8.3.17	15 / 7	V.K.V.N.Y.	13940
			कुल योग	**₹32800**

14 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 स्टॉक रजिस्टर
2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3 जल प्रभार रजिस्टर
4 सीमेंट स्टॉक रजिस्टर
5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
7 गृहकर वसूली रजिस्टर
8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि
10 वर्गीकृत सार

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताऐंः–

16.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

16.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

16.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येंक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः–**लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ में विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 180/2018–खण्ड–1–3981–3984 दिनाँक 01.06.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत सेहल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881